S.No. 3 /Health/2006

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.2005/H/6-4/Policy **New Delhi, dated: 20.10.2006**

The General Manager,
All Indian Railways,
Including Production Units.

Sub: Medical Attendance and Treatment : Sanction of Advance Payments.

*****

In terms of note below Para 651 of Indian Railway Medical Manual (Vol. I, 3rd Edition) 2000, General Managers have been empowered to sanction advance payment upto the reimbursement part of the anticipated cost of the treatment or upto Rs.1,00,000/-, whichever is less, on recommendations of the CMD and the concurrence of FA&CAO towards the treatment of railway beneficiary in Government Hospital/Recognised Hospital where they are officially referred to by the Authorised Medical Officer.

2. Ministry of Railways after careful consideration of the issue, in partial modification to their earlier orders, have decided that the powers of General Managers to sanction advance payment be enhanced to **Rs. 5,00,000/-** in case of referral to **Government Hospital only**.

3. There shall be no change in the powers of General Manager relating to sanction of advance payment in case of referral to recognized hospital.

4. All other conditions shall remain the same.

5. General Managers may in consultation with their FA&CAO redelegate from within their powers to Divisional Railway Managers of the Divisions under their control.

6. The above has the sanction of the President and this issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways

7. Please acknowledge receipt.

Pankaj Kapoor

(Dr. Pankaj Kapoor)
Exe. Director Health(Plg.)
Railway Board

No.2005/H/6-4/Policy **New Delhi, dated: 20.10.2006**

Copy forwarded to:-

1 FA&CAO, All Indian Railways.
2 The Chief Medical Director, All Indian Railways.

(Dr. Pankaj Kapoor)
Exe. Director Health(Plg.)
Railway Board

No.2005/H/6-4/Policy **New Delhi, dated: 20. 10.2006**

Copy forwarded to

1 The Principal Director of Audit/ All Indian Railways
2. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Rlys.), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

For Financial Commissioner/ Railways.

Copy to F(E) Spl. Branch.

S.No. 3 /Health 2006

Advance Correction Slip to Para 651 of IRMM.2000.

651. be read as under:-

"Payment of charges: Payment to Government/recognised hospitals on account of hospital charges should, in the first instance, be made by the Railway employee concerned to the hospital authorities and the refund thereof claimed from Railway administration later.

Note : 1. The State Government, where agreeable, should debit the Railway administration concerned by preferring bills for those items for which reimbursement is permissible. To facilitate payment to such of the Government, which press for advance deposit of money for the treatment of cases referred to them, the CMS/MS in charge of the division concerned may be allowed an imprest. The holder of the imprest should submit a report for the amount spent. Further, **the General Managers may sanction advance payment up to the reimbursable portion of the anticipated cost of the treatment or up to Rs.5 lakh, whichever is less on recommendations of the CMD and the concurrence of the FA&CAO, towards the treatment of Railway beneficiary in Government hospitals where they are officially referred by the Authorised Medical Officer.** However efforts should be made for payments through bill system or in installments agreeable to the concerned hospital authorities through negotiation. In order to meet some urgent requirements to save the life of the patients, DRMs of the divisions can also sanction such advance payment subject to limitations stipulated above with the concurrence of the Divisional finance and on recommendations of the CMS/MS of the divisonal hospital. However, post facto approval of the GM in such exceptional cases must be obtained to regularise the same.

2. In case of referral by Authorised Medical officer to recognized hospitals, ceiling for sanction of advance payment by General Managers shall be Rs. One Lakh only. All other terms and condition for sanction shall remain the same.

(Authority Board's letter No.2005/H/6-4/Policy dated: [illegible].06)

क्रम सं. 03/स्वास्थ्य 2006

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/एच/6-4/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक:2०.10.06**

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां.

विषय : चिकित्सा परिचर्या और उपचार : अग्रिम भुगतान की स्वीकृति.

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली,(जिल्द-I, तीसरा संस्करण)2000 के पैरा 651 के नीचे दी गई टिप्पणी के अनुसार, सरकारी/मान्यताप्राप्त चिकित्सालयों में रेल लाभार्थियों के उपचार हेतु मुख्य चिकित्सा निदेशक के परामर्श एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति से उपचार की प्रत्याशित लागत के प्रतिपूर्ति होने वाले भाग अथवा एक लाख रुपए तक की राशि, जो न्यूनतम हो, के भुगतान की मंजूरी प्रदान करने की शक्तियां महाप्रबंधकों को दी गई हैं यदि रोगियों को इन चिकित्सालयों में प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा भेजा जाए.

2) इस मुद्दे पर ध्यानपूर्वक विचार करते हुए, अपने पूर्व के आदेशों में आंशिक आशोधन करते हुए, रेल मंत्रालय ने यह विनिश्चय किया है कि **केवल सरकारी अस्पताल** में भेजे जाने के मामले में, महाप्रबंधकों की अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने की शक्तियाँ को **5,00,000/-रुपए** तक बढ़ा दिया जाए.

3) मान्यताप्राप्त अस्पताल में भेजे जाने के मामले में अग्रिम भुगतान स्वीकृत करने के संबंध में महाप्रबंधकों की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

4) अन्य सभी शर्तों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा.

5) महाप्रबंधक अपने वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से अपने नियंत्रण में आने वाले मंडल रेल प्रबंधकों को अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं.

6) उक्त को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है तथा इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

7) कृपया पावती दें.

पंकज कपूर

(डा. पंकज कपूर)
कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (योजना)
रेलवे बोर्ड

सं. 2005/एच/6-4/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक:२०.10.06**

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2) मुख्य चिकित्सा निदेशक, सभी क्षेत्रीय रेलें.

(डा. पंकज कपूर)
कार्यपालक निदेशक, स्वास्थ्य (योजना)
रेलवे बोर्ड

सं. 2005/एच/6-4/पॉलिसी **नई दिल्ली, दिनांक:२०.10.06**

1) प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखाकार (रेलवे) कमरा सं. 224, रेल भवन नई दिल्ली.

कृते वित्त आयुक्त/रेलवे

प्रतिलिपि- एफ(ई) विशेष.

भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली, 2000 के पैरा 651 की अग्रिम शुद्धि पर्ची

651. इस प्रकार से पढ़ा जाए :-

"प्रभारों का भुगतान : सरकारी/मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों के प्रभारों का भुगतान पहले संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा स्वयं चिकित्सालय अधिकारियों को किया जाएगा और बाद में रेल प्रशासन से उनकी वापसी की मांग की जाएगी.

टिप्पणी 1 : यदि राज्य सरकार सहमत हो तो उसके द्वारा उन मदों, जिनकी प्रतिपूर्ति अनुमेय है, के बिल भेजकर संबद्ध रेल प्रशासन के नाम रकम डाली जाए. जो सरकारी/मान्यता प्राप्त चिकित्सालय इस बात पर जोर देते हैं कि उनको भेजे गए रोगियों के उपचार के लिए रकम अग्रिम जमा की जाए, उन्हें भुगतान किए जाने के लिए संबंधित मंडल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक के पास अग्रदाय रखने की व्यवस्था की जाए. अग्रदायधारी द्वारा खर्च की गई राशि की रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए. इसके अतिरिक्त, **सरकारी/मान्यताप्राप्त चिकित्सालयों में रेल लाभार्थियों के उपचार हेतु मुख्य चिकित्सा निदेशक के परामर्श एवं वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति से उपचार की प्रत्याशित लागत के प्रतिपूर्ति होने वाले भाग अथवा पाँच लाख रुपए तक की राशि, जो न्यूनतम हो, के भुगतान की मंजूरी महाप्रबंधकों द्वारा दी जा सकती है, यदि रोगियों को इन चिकित्सालयों में प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा भेजा जाए.** फिर भी इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि भुगतान बिल प्रणाली द्वारा किए जाए अथवा संबंधित चिकित्साधिकारियों से वार्ता करके उनकी सहमति लेकर किश्तों में किया जाए. रोगियों का जीवन बचाने के लिए कुछ तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मंडलों के मंडल रेल प्रबंधक भी मंडल की वित्तीय सहमति से तथा मंडल चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा अधीक्षक की सिफारिश से उपर्युक्त निर्धारित की गई राशि के अग्रिम भुगतान की अनुमति प्रदान कर सकते हैं. तथापि, इस प्रकार के आपवादिक मामलों में इनको विनियमन करने हेतु महाप्रबंधक का कार्योत्तर अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए.

2. प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा मान्यताप्राप्त अस्पतालों में भेजे जाने के मामले में, महाप्रबंधकों द्वारा अग्रिम भुगतान स्वीकृत किए जाने की सीमा केवल एक लाख रु. होगी. अन्य सभी निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ."

(प्राधिकार: बोर्ड का पत्र सं. 2005/एच/6/4/पॉलिसी दिनांक:20.10.2006)